


अधिकारी ~~अन्य~~ राजकार्य में  
होने से प्रकरण दिनांक 16.10.24  
को पेश हों।

आज्ञा से  
२३  
रीडर

16.10.24

पत्रावली पेश हुई। बहुलाय-पक्षकार उपस्थित हुए।  
तहसीलदार गिर्बा से रिपोर्ट प्राप्त होने से तथा रिपोर्ट  
में तहसीलदार द्वारा अंकित किया कि जार्जी द्वारा-चर्चा  
गई दाद नामांकन संख्या 3008 से डुरस्त की जाकर  
दी गई है। अतः प्रकरण इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावे।  
अतः तहसीलदार रिपोर्ट अजलाह जार्जी से अजलाह  
नामांकन संख्या 3008 से दे दिया जाने के अर्थ में उचित  
नहीं बचती है। प्रकरण जिसे इसी स्तर पर खारिज  
किया जाता है निर्णय से इजलास शुजात गमा प्रकरण फौज  
शुमार होकर नम्बर से कम है।

  
रिमा (बी)  
21/5